

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक 1480 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 14 अक्टूबर, 2020 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषय:— मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग, प्रपोजल सं0 (FP/UK/ROAD/41149/2019)

सन्दर्भ:— कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा का पत्रांक 43/12-1(2) दिनांक 02/07/2020 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 2149/22 याता0 दिनांक 12.01.2020 ।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग में दिनांक 09.10.2020 को वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित मार्ग में 35 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र चीड़ के वृक्षों से प्रभावित है। अतः मार्ग के निर्माण हेतु तथा 341 स्थानीय जनसंख्या के लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत समरेखण ही उचित समझा गया ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

o/c


# निरीक्षण आख्या

प्रस्ताव संख्या 41149/2019

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.10.2020 को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ एवं प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।


जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ वनप्रभाग के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग में कुल 35 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, यह क्षेत्र बॉज के अतिरिक्त चीड़, फल्याट प्रजाति के वृक्षों से आच्छादित है। कुल प्रभावित क्षेत्रफल में 5.60 हे0 सिविल सोयम भूमि प्रभावित हो रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से खर्कगॉव, सेटीगॉव, गाड़गॉव, गिराड़ी, बसखेत, पटकेश्वर, सैराड़, मनकोट के 662 जनसंख्या लाभान्वित होंगे।

इस मोटर मार्ग से ग्राम खर्कगॉव, सेटीगॉव, गाड़गॉव, गिराड़ी, बसखेत, पटकेश्वर, सैराड़, मनकोट के 662 लोगो को लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रभावित वन भूमि को जनहित में हस्तान्तरण करने की संस्तुति की जाती है।

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
पिथौरागढ़



प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़

  
(प्रवीण कुमार)  
वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

प्रारूप-22

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं० 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट के अंतर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 9.10.2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्रसं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि		बाँज		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	सिविल सोयम		बाँज	Quercus leucotrichophora	-	-	04	-	-	-	-	-	04
3.	वन पंचायत		बाँज		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	संरक्षित वन		बाँज		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :- वन भूमि				-	-	04	-	-	-	-	-	04
5.	नाप भूमि		बाँज		-	-	11	20	-	-	-	-	31
	कुल योग :-				-	-	15	20	-	-	-	-	35

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/1  
वन संरक्षक,